न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)
(पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)
दावा संख्या :: 41/2014

प्यारा पिता भैरूलाल जी धाकड मृतक के बजाय :
1/1–सोहनी पुत्री प्यारा जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
1/2–लेहरी पुत्री प्यारा जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
1/3–धापू पुत्री प्यारा जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
1/4–जडाव पुत्री प्यारा जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
1/5–लाली पुत्री प्यारा जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पिता डालू जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
2. शंकरलाल पिता प्यारा जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
3. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी जी तहसील बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :: श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादीगण
श्री के.सी.शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 13.01.2020

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वादपत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मौजा बदनपुरा प0ह0 चेची की आराजी संख्या 90 रकबा 1.149 हैक्टर, 326/29 रकबा 1.081 हैक्टर, 327/128 रकबा 0.035 हैक्टर एवं आराजी संख्या 328/235 रकबा 0.029 हैक्टर योग किता– 4 कुल रकबा 2.2940 हैक्टर भूमि वादी के स्वामित्व आधिपत्य की स्थित है जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में अवैध हस्तान्तरण के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम अंकित है।

यह कि उक्त आराजीयात मूल रूप से प्यारा डालू भीमा पिता भैरू धाकड के नाम अन्य सहखातेदारी की आराजीयात के साथ दर्ज रेकार्ड थी जिसमें से भीमा का हिस्सा भीमा ने दिनांक 28.01.2005 को जरिये पंजीकृत हकत्याग विलेख वादी के पक्ष में हकत्याग (रिलीज) कर दिया, किन्तु हक त्याग विलेख पंजीयन के समय भूमि पर बैंक का ऋण बकाया होने से इस हक त्याग विलेख का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं हो सका। यह कि तत्पश्चात भाई भीमा वादी के साथ वर्षो से रहने से एवं भाई डालू अर्सा कदीम से अलम रहने से राजस्व आराजीयात का आपसी सहमति से बँटवारा कराया गया जिससे खाता पृथक पृथक पृथक हो गया एवं भाई भीमा का हक त्याग वादी के पक्ष में हो जाने बावजूद आराजीयात रहन होने से से भाई भीमा का नाम वादी के साथ राजस्व रेकार्ड में रह गया, किन्तु मौके पर भाई भीमा का न तो कब्जा काश्त था एवं भाई भीमा का हकत्याग वादी के पक्ष में हो जाने से न ही भीमा का कोई स्वामित्व ही शेष था।

यह कि भाई भीमा का राजस्व रेकार्ड में नाम रह जाने का नाजायज लाभ उठाने की नीयत से प्रतिवादी संख्या एक ने भीमा जी को बहला फुसला कर उनकी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही बिना किसी प्रतिफल के उक्त कलम सं0 1

-----लगातार

Scanned by CamScanner

में वर्णित आराजीयात में का हिस्सा 1/2 को अपने नाम जरिये पंजीकृत विकय विलेख करा लिया। चूँकि उक्त आराजीयात में भीमा जो का हिस्सा भीमा जी ने पहले से ही वादी के पक्ष में हक त्याग कर चूके के थे जिससे उनका उक्त आराजीयात में कोई हक हित विद्यमान नहीं था तो उन्हें हस्तानान्तरण का अधिकार भी नहीं था जिससे भीमा जी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में कराया गया विकयपत्र भी वादी के अधिकारो के मुकाबले शुन्य एवं निःष्प्रभावी कार्यवाही है जो प्रारंभतःअवैध होकर वादी के विरूद्ध कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखता है।

यह कि प्रतिवादी संख्या एक द्वारा भीमा जी से अपने नाम भूमि हस्तान्तरण का दस्तावेज की जानकारी वादी को आ जाने पर वादी ने जब आपत्ति की तो प्रतिवादी सं0 1 ने वादी की जानकारी के बिना प्रतिवादी सं0 2 वादी के पुत्र से मिल कर आपस में दुरभिसंधी करते हुए भूमि को आपस में आधी आधी बॉटना तय कर प्रतिवादी सं0एक ने अपने नाम अवैध विकयपत्र के आधार पर दर्ज हिस्सा का आधा हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 के नाम करा दिया एवं वादी को इस तथ्य की जानकारी ही नहीं दी। यह कि दिनांक 18.4.2014 को प्रतिवादी सं0 एक ने वादी को आकर कहां कि उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का हिस्सा 1/4 वह प्रतिवादी के लिए छोड दे क्योकि वह हिस्सा प्रतिवादी के नाम दर्ज है, एवं अपने नाम दर्ज हिस्सा को वह अन्य को हस्तान्तरित करेगा, प्रतिवावदी सं0 एक की इस प्रकार की धमकी के कारण वादी को यह वाद अपने अधिकारो की घोषणा हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद पत्र की कलम सं0 एक में वर्णित आराजीयात भीमा जी द्वारा अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में जरिये पंजीकृत हक त्याग विलेख से त्याग देने से अकेले वादी की होकर इसमें न तो भीमा जी का हक हिस्सा रहा था एवं न ही प्रतिवादी का हो सकता है, जिससे वादीगण का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण उक्त कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात सम्पूर्ण वादी के स्वामित्व आधिपत्य की होने की घोषणा हेतु न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है। भीमाजी का स्वर्गवास हो चुका है जिससे उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादकारण दिनांक 18.4.2014 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा भूमि को खुर्द बुद करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

वादी न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करता हैः—

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात वादी के अकेले के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की होने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु अधिवक्ता प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा बार बार जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर अंतिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रतिवादीगण का जवाब दावा बंद किया गया। पत्रावली में वादी प्यारा के पुत्र शंकरलाल जो कि वादपत्र में 1/6 रूप में पक्षकार स्थापित थे उनका नाम उनकी मृत्यु होने से उनका वादपत्र में पक्षकार से डिलीट किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण का जवाबदावा बंद होने के उपरान्त वादी की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र जडाव पिता प्यारा जी के प्रस्तुत किये तथा वादीया के बयान कलमबद्ध करा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श करा बयान कलमबद्ध कराये गये। प्रकरण में वादी की साक्ष्य पूर्ण के पश्चात अधिवकता वादीगण की एक तरफा बहस हमारे द्वारा सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन इस

-----लगातार

Scanned by CamScanner

प्रकार किया कि मौजा बदनपुरा प0ह0 चेची में आराजी संख्या 90 रकबा 1.149 हैक्टर, 326/29 रकबा 1.081 हैक्टर, 327/128 रकबा 0.035 हेक्टर एवं आराजी संख्या 328/235 रकबा 0.029 हैक्टर किता– 4 कुल रकबा 2.2940 हैक्टर भूमि वादी के स्वामित्व की भूमि है। यह आराजी मूल रूप से प्यारा डालू भीमा पिता भैरू धाकड के नाम अन्य सहखातेदारी की आराजी दर्ज रेकार्ड थी जिसमें से भीमा का हिस्सा भीमा द्वारा दिनांक 28.01.2005 को जरिये पंजीकृत हकत्याग विलेख से वादी के पक्ष में हक त्याग (रिलीज) कर दिया, किन्तु हकत्याग विलेख के समय भमि पर बैंक का ऋण बकाया होने से इस हक त्याग विलेख का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं हो सका। भाई भीमा जो कि वर्षो से साथ रहता था,जिसने भाई डालू के अलग रहने से आराजी का आपसी सहमति से विभाजन करा खाता पृथक कराया जबकि भाई भीमा का हकत्याग वादी के पक्ष में हो जाने के बावजूद भाई भीमा का नाम वादी के साथ राजस्व रेकार्ड में रह गया किन्तु मौके पर भीमा का न तो कब्जा काश्त था ना ही भीमा का कोई स्वामित्व शेष था।

भीमा का नाम राजस्व रेकार्ड में रहने से उसका नाजायज लाभ उठाने की नियम प्रतिवादी संख्या एक ने भीमा जी के नाम वर्णित आराजीयात का 1/2 हिस्सा अपने नाम पर जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से अपने पक्ष में करवा लिया जबकि उक्त आराजीयात में भीमा जी का हिस्सा पहले ही भीमा जी वादी के पक्ष में पंजीकृत हकत्याग विलेख से हक त्याग चुके थे, जिससे भीमा जी का उनकी आराजी में कोई हक हिस्सा विद्यमान नहीं था ना ही उन्हें उक्त आराजी के हस्तान्तरण का अधिकार था इस प्रकार भीमा जी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में कराया गया विक्रय पत्र वादी के अधिकारो के मुकाबले शून्य एवं निःष्प्रभावी है जो अवैध होकर वादी के विरूद्ध कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखता है। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख की जानकारी मुझ वादी को हुई तो प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र से मिल कर दूरभिसंधि से आपस में आधी आधी भूमि बॉटना तय कर प्रतिवादी संख्या एक ने अपने नाम अवैध विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज हिस्सा आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम करा दिया जिसकी जानकारी मुझ वादी को भी नहीं दी।

बहस में निवेदन किया कि भीमा द्वारा दिनांक 28.01.2005 को पंजीकृत हकत्याग विलेख से अपना हकत्याग मुझ वादी के पक्ष मे निष्पादित करा दिया तो प्रतिवादी संख्या 1 को भीमा की आराजी का उनसे मिलकर पंजीकृत विक्रय कराने का अधिकार नहीं था, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख 19.11.2013 को करा गया है जो कि पूर्व के पंजीकृत हकत्याग दिनांक 28.01.2005 के मुकाबले निःष्प्रभावी होकर मुझ वादी के लिए शुन्य है। अतः वाद वर्णित आराजी का मुझ वादी को खातेदार घोषित किया जाने की डिक्री प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत अवश्य किया गया किन्तु समय पर जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनका जवाब बन्द किया गया उसके पश्चात प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में न तो साक्ष्य के वक्त हिस्सा लिया है ना ही पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से कोई बहस प्रस्तुत की है।

हमने अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना तथा उस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि मौजा बदनपुरा की आराजी संख्या 29, 90, 92, 106, 128, 235 किता– 6 कुल रकबा 4.5890 हैक्टर भूमि श्री प्यारा डालू भीमा पिता भैरू धाकड के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी उक्त आराजी में आपसी सहमति विभाजन से आराजी संख्या 326/29, 90, 327/128, 328/235 किता– 4 कुल रकबा 2.2940 हैक्टर भूमि प्यारा भीमा पिता भैरू धाकड के नाम पर दर्ज हुई तथा आराजी संख्या 29मी. 92, 106, 128 मी.235मी किता–5 कुल रकबा 2.2950 हैक्टर भूमि डालू पिता भैरू धाकड के नाम दर्ज हुई, वर्णित भूमि में से खातेदार भीमा पिता भैरू द्वारा अपने हक हिस्से का हकत्याग वादी प्यारा पिता भैरू के पक्ष में पंजीकृत हकत्याग 28.01.2005 को कर दिया लेकिन वर्णित भूमि रहन होने से उक्त हकत्याग का राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं हो सका जबकि

Scanned by CamScanner

आराजी का आपसी सहमति से विभाजन हकत्याग के बाद हुआ था, भूमि रहन होने से भूमि पर प्यारा व भीमा का नाम दर्ज रहा जिसका नाजायज लाभ उठाते हुए डालू का पुत्र रामेश्वरलाल प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भीमा से उनका नाम आराजी में होने का लाभ उठाते हुए उनके हिस्से की आराजी को अपने नाम पर पंजीकृत विक्रय विलेख से विक्रय करा दिया गया तदोपरान्त भीमा की मृत्यु हो गई, पंजीकृत विक्रय विलेख का अमल राजस्व रेकार्ड में कर दिया गया, इस तथ्य की जानकारी जब वादी को हुई तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को खुश करने की नियत से अपने नाम पर आई आराजी का 1/2 हिस्सा वादी के पुत्र शंकरलाल प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर पंजीकृत विक्रय विलेख से विक्रय कर दिया जिससे वादी की आराजी मे प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम अंकित हो गया। वक्त बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने तथ्य के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2017 पेज 740 की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट में दिए गये निर्णय पांचाराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि " **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88 व 183 प्रार्थीगण के विरूद्ध व कब्जा हेतु वाद वादीगण ने सम्वर्त 2016 मे 4.9.61 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जी.एस. से भूमि केय की बाद मे जी.एस. की विधवा ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा व जे को भूमि विक्रय की पश्चातवर्ती विक्रय विलेख सम्पत्ति में कोई अधिकार सृजित नहीं करेगा तथा वादीगण को इसे आपेक्षित करना आवश्यक नहीं हैळ–पश्चातवर्ती विक्रय–पत्र शून्य व अप्रभावी है।**" अतः जब खातेदार भीमा द्वारा अपना हक हिस्सा वादी प्यारा के पक्ष में पंजीकृत हकत्याग द्वारा हक त्याग कर देने के बाद उसी भीमा ने उक्त भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा प्रतिवादी को बेचान कर दिया। चूकि कोई रजिस्टर्ड पंजीकृत दस्तावेज जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता वह प्रभाव मे माना जाता है उस रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही न होना राजस्व कर्मचारियो की भूल है। अतः जब तक वो दस्तावेज निरस्त/निष्प्रभावी नहीं होता है तब तक वह मान्य है एवं उसके बाद उस भूमि को लेकर की गई दस्तावेज निष्प्रभावी है। अतः बाद में किये गये विक्रय विलेख पत्र निष्प्रभावी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से हम पूर्णतया सहमत है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस से हम सहमत है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है, मौजा बदनपुरा प0ह0 चेची की आराजी संख्या 90 रकबा 1.149 हैक्टर, 326/29 रकबा 1.081 हैक्टर, 327/128 रकबा 0.035 हेक्टर एवं आराजी संख्या 328/235 रकबा 0.029 हैक्टर किता– 4 कुल रकबा 2.2940 हैक्टर भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वरलाल पिता डालू धाकड नि.बदनपुरा प्रतिवादी संख्या 2 शंकरलाल पुत्र प्यारा धाकउ नि. बदनपुरा का नाम हटाया जाकर वर्णित आराजी मृतक वादी प्यारा पिता भैरूलाल धाकड के वारिसान सोहनी पुत्री प्यारा धाकड, लेहरी पुत्री प्यारा धाकड, धापू पुत्री प्यारा धाकड, जडाव पुत्री प्यारा धाकड, लाली पुत्री प्यारा धाकड एवं प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र प्यारा धाकड सभी निवासी बदनपुरा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या :: 41/2014

प्यारा पिता भैरूलाल जी धाकड मृतक के बजाय :
1/1–सोहनी पुत्री प्यारा जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
1/2–लेहरी पुत्री प्यारा जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
1/3–धापू पुत्री प्यारा जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
1/4–जडाव पुत्री प्यारा जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
1/5–लाली पुत्री प्यारा जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पिता डालू जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
2. शंकरलाल पिता प्यारा जी धाकड निवासी बदनपुरा तह0 बेगूँ
3. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी जी तहसील बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 13.01.2020 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष न्यायालय में अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है, मौजा बदनपुरा प0ह0 चेची की आराजी संख्या 90 रकबा 1.149 हैक्टर, 326/29 रकबा 1.081 हैक्टर, 327/128 रकबा 0.035 हेक्टर एवं आराजी संख्या 328/235 रकबा 0.029 हैक्टर किता– 4 कुल रकबा 2.2940 हैक्टर भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वरलाल पिता डालू धाकड नि.बदनपुरा प्रतिवादी संख्या 2 शंकरलाल पुत्र प्यारा धाकउ नि. बदनपुरा का नाम हटाया जाकर वर्णित आराजी मृतक वादी प्यारा पिता भैरूलाल धाकड के वारिसान सोहनी पुत्री प्यारा धाकड, लेहरी पुत्री प्यारा धाकड, धापू पुत्री प्यारा धाकड, जडाव पुत्री प्यारा धाकड, लाली पुत्री प्यारा धाकड एवं प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र प्यारा धाकड सभी निवासी बदनपुरा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 13.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.02.11 17:29:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: